न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–144/2015/टोंक (2015/00040)

1. धोली,
2. काली,
3. मनभर,

पुत्रियां कल्याणसिंह, जाति मीणा, निवासी उखलाना, तहसील उनियारा,जिला टोक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. दयाचंद पुत्र बदरीलाल, जाति मीणा, निवासी उखलाना, तह0 उनियारा जिला टोंक ।
2. ग्राम पंचायत बिलोता, जरिये सरपंच, पंचायत समिति उनियारा ।
3. टोंक जिला सहकारी भूमि बैंक विकास बैंक, शाखा उनियारा जरिये शाखा
4. प्रबंधक ।
5. तहसीलदार, उनियारा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा, जिला टोंक दिनांक 30.11.2015 अंतर्गत अपील संख्या 3/2015.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री डूंगरसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांक :– 24.5.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व

अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1556 रकबा 0.90 है0, खसरा नंबर 1589 रकबा 1.10 है0, किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 तथा खसरा नंबर 876 रकबा 0.02 है0 गे0मु0 चाह ग्राम उखलाना, तहसील उनियारा अपीलांट्स के पिता कल्याणसिंह पुत्र देवा मीणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । कल्याणसिंह की मृत्यु दिनांक 18.1.2015 को हो चुकी है जिसके आधार पर उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 946 दिनांक 9.3.2015 अपीलांट्स व नारायणी पत्नि कल्याणसिंह के नाम स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । उपखण्ड अधिकारी, उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2015 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, उनियारा को आदेशित किया कि नामांतकरण संख्या 946 वाके ग्राम उखलाना में काली, धोली, मनभर पुत्रियां व नाराणी धर्मपत्नि कल्याणसिंह, दयाचन्द पिता बद्रीलाल का नाम पूर्ववत् दर्ज करे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स तथा कल्याणसिंह की पत्नि नारायणी मृतक कल्याणसिंह के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी है इसलिये अपीलांट्स एवं नारायणी पत्नि कल्याणसिंह के नाम नामांतकरण संख्या 946 पटवारी हल्का द्वारा भरकर प्रस्तुत किया गया था परन्तु तत्समय रेस्पो0 संख्या 1 का नाम सहवन से राजस्व कर्मचारियां द्वारा अंकित कर दिया गया था जिसको बाद में दुरूस्त करते हुए काट दिया गया था क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 का कल्याणसिंह एवं उसके परिवार से कोई संबंध नहीं है । ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा मृतक कल्याणसिंह की पुत्रियों अपीलांट्स एवं पत्नि नारायणी के नाम हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 के अनुसार नामांतकरण संख्या 946 तस्दीक किया गया है जो विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 मृतक कल्याणसिंह का दत्तक पुत्र नहीं है, ना ही उसके पक्ष में गोद का ही कोई साक्ष्य है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष कोई भी लिखित/पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया तथा रेस्पो0 संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य रिकार्ड में पिता का नाम बदरी लिखा हुआ है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मृतक कल्याणसिंह की आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 को विरासतन अधिकारी मानने में त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 अधी0न्याया0 के समक्ष गोदनामा व पंचनामे की जो प्रतियां पेश की है वह सादा कागज पर है

जिसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है, रेस्पो0 संख्या 1 को गोदनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से साबित कराये बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । ग्राम पंचायत ने नांमातकरण की पुस्त पर सजरा बनाया है तथा विधिक वारिसान की जांच कर विरासत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 276, आर0एल0डब्ल्यू0 2007 (1) पेज 443 एवं आर0आर0डी0 1998 पेज 391 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार मृतक कल्याणसिंह थे तथा कल्याणसिंह के को पुत्र संतान नहीं होने के कारण उन्होंने अपने जीवनकाल में रेस्पो0 संख्या 1, जो कि उसके सगे भाई बदरीलाल का पुत्र है, को गोद लिया था तथा रेस्पो0 संख्या 1 ने ही कल्याणसिंह के जीवनकाल में उसकी सेवा सुश्रुषा की तथा सारे अंतिम क्रियाकर्म सम्पन्न किये है । खातेदार कल्याणसिंह की मृत्यु होने पर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण नहीं भरे जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पक्ष में नामांतकरण खोले जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर कोरम ने प्रस्ताव पारित कर पुत्रियों एवं विधवा के साथ–साथ रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में भी नामांतकरण तस्दीक किया है तथा उक्त नामांतकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी इंद्राज कर दिया गया था किन्तु अपीलांट्स ने बाद में राजस्व कर्मचारियों से साज कर रेस्पो0 संख्या 1 का नाम कटवा दिया । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि कल्याणसिंह ने रेस्पो0 संख्या 1 को समाज के रीति रिवाजों अनुसार दत्तक पुत्र स्वीकार किया है तथा समारोह भी सम्पादित किया था तथा समाज के पंचों ने मृतक कल्याणसिंह की पगड़ी रेस्पो0 संख्या 1 के बंधवाई थी । रेस्पो0 संख्या 1 का मृतक का दत्तक पुत्र होने से उसकी चल व अचल सम्पति का विधिक वारिसान है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में यह भी कथन किया कि यदि अपीलांट्स रेस्पो0 संख्या 1 को कल्याणसिंह का दत्तक पुत्र नहीं मानते थे तो उन्हें नामांतकरण संख्या 946 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर विधिक प्रक्रिया अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 का नाम नामांतकरण से हजब करवाना चाहिये था परन्तु अपीलांट्स ने ऐसा नही कर सीधे ही पटवारी हल्का से साज कर नामांतकरण एवं राजस्व रिकार्ड से रेस्पो0 का नाम कटवा दिया जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार कल्याणसिंह विवादित आराजियात का खातेदार था जिसके कोई पुत्र संतान नहीं थी तथा केवल मात्र तीन पुत्रियां अपीलांट्स एवं पत्नि नारायणी थे । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने पंचनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि मृतक कल्याणसिंह का क्रिया कर्म रेस्पो0 संख्या 1, जो कि कल्याणसिंह के भाई बदरीलाल मीणा का पुत्र है, द्वारा किया गया है तथा मीणा समाज के पंच पटेलों द्वारा मृतक की पगड़ी रेस्पो0 संख्या 1 के बंधवाई गई है जिससे वह भी मृतक खातेदार का गोद पुत्र होने से विधिक वारिसान है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार नामांतकरण संख्या 946 ग्राम उखलाना कल्याण पुत्र देवा के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामांतकरण सर्वसम्मति से उपस्थित वार्ड पंचों द्वारा स्वीकार किया गया है । इस संबंध में नामांतकण संख्या 946 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोरम के प्रस्ताव दिनांक 9.3.2005 अनुसार मृतक के वारिसान काली, धोली, मनभर पुत्रियां कल्याण व नारायणी पत्नि कल्याणसिंह तथा दयाचंद पिता बद्रीलाल पि0मु0 कल्याणसिंह के नाम स्वीकार किया गया है तथा उक्त नामांतकरण का अंकन जमाबंदी संवत् 2070–2073 ग्राम उखलाना के खाता संख्या 42 में भी किया गया है किन्तु बाद में नामांतकरण संख्या 946 व जमाबंदी से दयाचंद का नाम कांट–छांट कर काटा गया है । एक बार ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण तस्दीक किये जाने के उपरांत पटवारी हल्का को नामांतकरण एवं जमाबंदी में से नाम काटने का अधिकार नहीं था । यदि अपीलांट्स रेस्पो0 संख्या 1 को मृतक खातेदार कल्याण का दत्तक पुत्र नहीं मानते थे एवं उसका नाम गलत रूप से नामांतकरण में दर्ज हो गया था तो उन्हें उक्त नामांतकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये किन्तु अपीलांट्स ने ऐसा न कर राजस्व कर्मचारियों से साज करके सीधे तौर पर रेस्पो0 संख्या 1 का नाम नामांतकरण संख्या 946 में कटवा दिया जो विधि विरूद्ध है । जहां तक अपीलांट्स का यह कथन कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक कल्याण का दत्तक पुत्र नहीं है इस संबंध में न्यायालय हाजा का मत है कि राजस्व न्यायालय को गोद संबंधी विषय के विनिश्चयन का अधिकार नहीं है । अपीलांट्स को इस संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी । एक बार रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण तस्दीक किये जाने तथा उक्त नामांतकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने के उपरांत बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के उक्त इंद्राज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अपीलांट्स यदि चाहे तो प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 946 दिनांक 9.3.2015 के विरूद्ध सक्षम स्तर पर अपील करने हेतु स्वतंत्र है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील

अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 144/2015 (2015/00040) बउनवानी धोली बनाम दयाचंद को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा, जिला टोंक द्वारा अपील संख्या 3/2015 बउनवान दयाचंद बनाम धोली वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 24.5.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर